UPRVUNL

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 378/मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2011–45–मा0सं0 (04)/2008 दिनांक : 4 अप्रैल, 2011

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

97 प्राप्ति 20-4-2011

विषयः– चिकित्सालयों की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश है कि निगमादेश सं0 641/मा0सं0(04) उ0नि0लि0/2009–45–मा0सं0(04)/2008 दिनांक 24.04.2009 के बिन्दु–32 के अनुक्रम में अग्रतर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा मान्य चिकित्सालयों की सूची (आदेश सं0 4354 औस/पाकालि/2010– 11(01)ए0एस0/2009 दिनांक 20.11.2010) इस अभ्युक्ति सहित संलग्न है कि निगमीय दरों पर इनमें कराई गई चिकित्सा पर प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमन्य होगी। यह सूची समय–समय पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा मान्य अवधि बढ़ाने पर आगे भी जारी कर दी जायेगी। संलग्न सूची दिनांक 20.11.2010 से मान्य मानी जायेगी।
संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(आर0वी0 पाण्डेय)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

संख्याः 378 (1) मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, मा0सं0/वित्त एवं लेखा/ पी0पी0एम0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ ईंधन/नवीनीकरण एव आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

PM-3
19/4/11

कृ0प0उ0

नक– ।) को सम्पन्न हु
। मैडिकल स्टाफ पूर्व र
नेक ना उनके अधिन

4. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रगति, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
6. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0 (01/02/03/04/05/06)/(औ0सं0/रिफार्म) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं0 406, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट **www.uprvunl.org** पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिव, उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
9. उप महाप्रबन्धक(चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
10. उप मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
11. अधिशासी अभियन्ता(सतर्कता एवं जॉच/मा0सं0–03), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ ।
12. समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनु0अधि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,
05.05.11
(आर0वी0 पाण्डेय)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

शक्ति भवनः 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

सं0–4354–औस / पाकालि / 2010–11(1)एएस / 2009 दिनांक 20.11.10

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारियो / अधिकारियो एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजना तथा पारिवारिक पेन्शनरो के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धो शर्तो एवम् कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरो जों कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org.Personnel पर उपलब्ध है के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0 4452–औस–17 / पाकालि / 2009 दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या– 3593–औस–17 / पाकालि / 2003 दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानो / मानको के अर्न्तगत निम्नलिखित चिकित्सालयो की एतद्द्वारा दिनांक 30.03.2012 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है :–

1. फातिमा मेडिकल एण्ड रिसर्च, सी–71 सेन्टर, सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ
2. एक्सल हास्पिटल 14 / 138, चुन्नीगंज, कानपुर,
3. कपूर हास्पिटल, सिविल लाइन्स, झांसी
4. हाइवे हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रा0 लि0, सीतापुर रोड, लखनऊ (आर्थोपीडिक एकल विशिष्टता हेतु)
5. बृजराज हास्पिटल एण्ड सुपर स्पेशलिटी, सेन्टर, तहसीनगंज चौराहा, चौक, लखनऊ
6. पापुलर हास्पिटल ककरमत्ता, वाराणसी

उपर्युक्त चिकित्सालयो में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या– 2088–एनजी–2 / एसईबी(चार)29–एनजी–2 / 78 दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानो एवम् शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा।

1. अस्पतालो को विभाग द्वारा अनुमोदित दरो के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देयें न होगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
2. चिकित्सालय को अपने परिसर में साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि " उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 30.03.2012 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय "।
3. चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनो में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के मुख्य चिकित्साधिकारी, शक्ति भवन को भेजना होगा :–

..............2 / –

Letter 39

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवम् लिंग।
(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवम् डिस्चार्ज होने की तिथि।
(घ) कार्मिक का वेतनमान।
(ड) रोग का नाम (डाइग्नासिस)
(च) कुल चार्ज की गई धनराशि।

4. कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org.Personnel पर दर्शायी गई दरो पर उपचार करने हेतु सहमत है।
5. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजको में भोजन के मद हेतु रू0 50/– प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।
6. निर्धारित/अनुमोदित दरो से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0–4354(1)–औस/पाकालि/2010–11(1)एएस/2009 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एंव प्रशा0) (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (वित्त) के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल लखनऊ/पूर्वांचल वाराणसी/पश्चिमांचल मेरठ/दक्षिणांचल आगरा एवम् केस्को कानपुर।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।
8. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी /कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

............3/–

10. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव–प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन को उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org.Personnel पर लोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
12. प्रबन्धकगण, सम्बन्धित उक्त चिकित्सालय।
13. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

Letter 41